खण्ड-403, अंक-1
सोमवार, 21 माघ, शक संवत् 1913
(10 फरवरी, 1992 ई0)

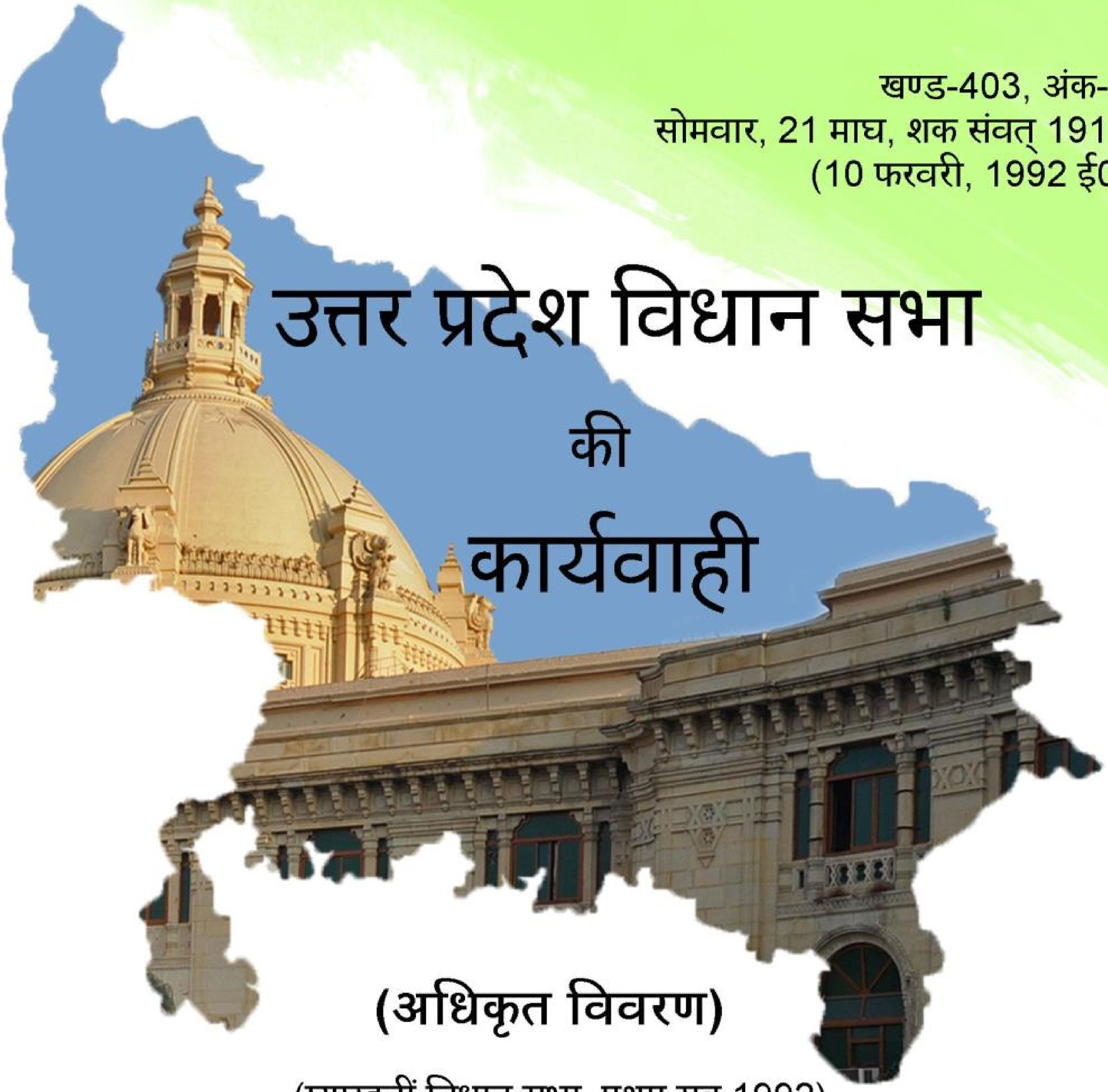

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची ..	ड़-झ
श्री राज्यपाल, मंत्रि परिषद, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल ..	ट-ड
उपस्थित सदस्य ..	ण
उप-चुनाव में निर्वाचित कतिपय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ..	1
व्यवस्था के प्रश्नों को उठाने का प्रयास ..	1
श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ ..	2-16
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	17
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अयोग (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) .. (तृतीय) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	17
उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) (चतुर्थ) अध्यादेश.. 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	17
मुख्य मंत्री द्वारा अपने साथ ब्रीफकेस ले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था .. का प्रश्न ..	17
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	17
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प-कालिक व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया)	17
उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	18
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	18
उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	13
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अभिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन-के पटल पर रखा गया) ..	18
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा अयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	18

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	18
उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	18
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 .. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	19
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	19
उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	19
व्यवस्था उठाने का प्रयास ..	19
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी करावान (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	19
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	19
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति (जारी) ..	19
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	20
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	20
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति ..	20
रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1987-88 एवं महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के वर्ष 1987-88 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा (सदन के पटल पर रखा गया)	20
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1989 का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	21
भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1990 का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	21

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नलकूल निगम लिमिटेड, लखनऊ का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	21
यू0पी0 स्टेट एग्रो, इंडस्ट्रियल, कारपोरेशन लि0 लखनऊ का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा-विवरण वर्ष 1983-84 (सदन के पटल पर-रखा गया) ..	21
उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम के वर्ष 1985-86 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश का परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा-गया) ..	21
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	22
31 जुलाई, 1991 को सदन में दिये गये श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रेषित स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल के उत्तर का पाठ ..	22
उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक 1991 (विधान परिषद से वापसी की सूचना ..	22
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद से-वापसी की सूचना) ..	22
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 (विधान परिषद से वापसी न होने की घोषणा) ..	23
उत्तर प्रदेश विनियोग (1991-92 का अनुपूरक) विधेयक, 1991 .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	23
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	23
उत्तर प्रदेश कृषि मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय-संशोधन) विधेयक, 1991 (राजयपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)..	23
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 (राज्यपाल-महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	24
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	24
उत्तर प्रदेश श्री बद्री नाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	24

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	24
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण)विधेयक 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	25
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक,1991(राज्य-पाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	25
उत्तर प्रदेश देशी शराब का लाइसेन्स का व्यवस्थापन (टेंडर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	25
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 (राज्यपाल महोदय-की अनुमति की घोषणा)	26
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	27

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1 - अंगद, श्री — आजमगढ़
2 - अकबर, श्री — मुरादाबाद
3 - अखिलेश, श्री — महराजगंज
4 - अछेबर लाल, श्री — बहराइच
5 - अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
6 - अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
7 - अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
8 - अनिल कुमार तिवारी, श्री — फैजाबाद
9 - अफजाल अंसारी, श्री — गाज़ीपुर
10 - अब्दल ए0 सलाम, श्री — आजमगढ़
11 - अभिमन्यु सिंह, श्री — फतेहपुर
12 - अमर नाथ यादव, श्री — वाराणसी
13 - अमर सिंह, श्री — बिजनौर
14 - अमरेश चन्द्र, श्री — मऊ
15 - अम्बिका सिंह, श्री — देवरिया
16 - अरविन्द कुमार, डा0 — ललितपुर
17 - अरविन्द प्रताप सिंह, श्री — फरुखाबाद
18 - अरिदमन सिंह, श्री — आगरा
19 - अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
20 - अर्जुन, श्री — सुल्तानपुर
21 - अवध पाल सिंह, श्री — एटा
22 - अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
23 - अशोक कुमार, श्री — लखनऊ
24 - अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
25 - अशोक दुबे, श्री — इटावा
26 - इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
27 - इजहार आलम खां, श्री — फरुखाबाद
28 - इन्द्र देव सिंह, श्री — बिजनौर
29 - इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
30 - इम्तियाज अहमद, श्री — मऊ
31 - इस्लाम साबिर, श्री — बरेली
32 - उदय प्रताप, श्री — गाजीपुर
33 - उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
34 - उमानाथ, श्री — जौनपुर
35 - उम्मेद सिंह, श्री — आगरा
36 - उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फरुखाबाद
37 - उदल, श्री — वाराणसी
38 - ओंकार सिंह, श्री — एटा
39 - ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
40 - ओम प्रकाश सिंह, श्री — गाजीपुर
41 - ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
42 - ओम प्रकाश, श्री — फतेहपुर
43 - ओम प्रकाश, श्री — बिजनौर
44 - ओम प्रकाश दिवाकर, श्री — फिरोजाबाद
45 - ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
46 - कंवर पाल मास्टर, श्री — सहारनपुर
47 - कटार सिंह, श्री — मेरठ
48 - कप्तान सिंह, श्री — फरुखाबाद
49 - कमल नयन वर्मा, श्री — रायबरेली
50 - कमलेश कुमार, श्री — गोण्डा
51 - कल्पनाथ, श्री — आजमगढ़
52 कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
53 - कासिम हसन सैयद, श्री — फतेहपुर
54 - किशन गोपाल, श्री — आगरा
55 - किशन लाल, श्री — पीलीभीत
56 - किशन लाल दिलर, श्री — अलीगढ़
57 - किशोरी लाल, श्री — जौनपुर
58 - किशोरी लाल, श्री — सीतापुर
59 - किशोरी श्याम, श्री — मथुरा
60 - कुंवर रवती रमण सिंह, उर्फ मणि जी, श्री — इलाहाबाद
61 - कृष्ण किंकर सिंह, श्री — बस्ती
62 - कृष्ण कुमार, श्री — फतेहपुर
63 - कृष्ण कुमार उर्फ के0के0 राज, श्री — इटावा
64 - कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
65 - कृष्ण चन्द्र, श्री — पिथौरागढ़
66 - कृष्ण वीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
67 - कृष्ण वीर सिंह, श्री — बदायूं
68 - कृष्ण स्वरूप, श्री — बदायूं
69 - केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
70 - केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
71 - केशव सिंह, श्री — जालौन
72 - कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
73 - कविंद कुमार सिंह, श्री — शाहजहांपुर
74 - खालिद गौरी, श्री — हरदोई
75 - गंगा बक्श सिंह, श्री — उन्नाव
76 - गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
77 - गधर्व सिंह, श्री — मैनपुरी
78 - गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
79 - गामाराम शास्त्री, श्री — गाजीपुर
80 - गिरधारी, श्री — गाजीपुर
81 - गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
82 - गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
83 - गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
84 - गोमती प्रसाद, श्री — लखनऊ

85 - घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
86 - घरहू, श्री — बलिया
87 - चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
88 - चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
89 - चन्द्र शेखर सिंह, श्री — बस्ती
90 - चरन सिंह, श्री — मेरठ
91 - छक्की लाल, श्री — इटावा
92 - छत्रपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
93 - छब्बू, श्री — वाराणसी
94 - छेदी लाल, श्री — गोण्डा
95 - छोटे लाल मिश्र, श्री — हमीरपुर
96 - छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
97 - जगदम्बा सिंह, श्री — बस्ती
98 - जगदीश भीन आचार्य, श्री — हरिद्वार
99 - जगदीश सिंह, श्री — सहारनपुर
100 - जगराम सिंह यादव, श्री — कानपुर नगर
101 - जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
102 - जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
103 - जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
104 - जागेश्वर प्रसाद उर्फ भाई जी, श्री — फतेहपुर
105 - जाहिद हुसैन, श्री — मुरादाबाद
106 - जी0एस0 विनोद, श्री — मुजफ्फरनगर
107 - जे0पी0 सिंह मजर, श्री — मुरादाबाद
108 - जैदान सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
109 - ज्ञान चन्द्र, श्री — उत्तर काशी
110 - ज्ञानवती सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
111 - ज्ञानेन्द्र, श्री — महराजगंज
112 - ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती — वाराणसी
113 - ज्वाला प्रसाद, श्री — रामपुर
114 - ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
115 - झाऊ लालू यादव, श्री — फिरोजाबाद
116 - ठाकुर पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
117 - तारकेश्वर, श्री — गोरखपुर
118 - तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
119 - तुलसी दास, श्री — गोण्डा
120 - तुला राम सैनी, श्री — मुरादाबाद
121 - तेज नरायन त्रिवेदी, श्री — लखीमपुर खीरी
122 - तेजपाल, श्री — हरिद्वार
123 - तेजभान यादव, श्री — सुल्तानपुर
124 - त्रिवेनी, श्री — फैजाबाद
125 - दया राम वर्मा, श्री — हरदोई
126 - दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
127 - दलसिंगार, श्री — आजमगढ़
128 - दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
129 - दिनेश जोहरी, डा0 — बरेली
130 - दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
131 - दीना नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
132 - दीप लाल भारती, श्री — देवरिया
133 - दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
134 - दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
135 - दुलारे लाल, श्री — मिर्जापुर
136 - देवेन्द्र पाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
137 - देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
138 - दौलत राम, श्री — सीतापुर
139 - धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थ नगर
140 - धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
141 - धर्म पाल यादव उर्फ डी0पी0 यादव, श्री — बुलन्दशहर
142 - नन्द किशोर मिश्रा, श्री — देवरिया
143 - नन्द राम, श्री — बरेली
144 - नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डॉ0 — इलाहाबाद
145 - नरेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
146 - नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
147 - नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
148 - नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
149 - नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
150 - नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
151 - नवाब सिंह, श्री — मथुरा
152 - नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री — बांदा
153 - नारायण दत्त तिवारी, श्री — नैनीताल
154 - निवेन्द्र कुमार, श्री — खीरी
155 - नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
156 - नीलम सिंह, श्रीमती — बहराइच
157 - नेतराम, श्री — शाहजहांपुर
158 - नेतराम सिंह, श्री — एटा
159 - पतिराज, श्री — आजमगढ़
160 - पद्मा सेठ, श्रीमती — सीतापुर
161 - परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री — रामपुर
162 - पवन कुमार पाण्डेय, श्री — फैजाबाद
163 - पीतम सिंह, श्री — एटा
164 - पूरन चन्द्र, श्री — अल्मोड़ा
165 - पूरन चन्द्र शर्मा, श्री — अल्मोड़ा
166 - पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
167 - पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
168 - पूर्णमासी पंकज, श्री — वाराणसी
169 - पृथ्वी सिंह, श्री — हरिद्वार
170 - प्यारे लाल संखवार, श्री — कानपुरदेहात
171 - प्रताप सिंह, श्री — मुरादाबाद
172 - प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
173 - प्रमोद कुमार, श्री — पीलीभीत
174 - प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़

175-प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
176-प्रीतम सिंह, श्री मुरादाबाद
177-प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री सिद्धार्थ नगर
178-प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
179-फतेह बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
180-फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
181-फागू, श्री मऊ
182-बंशीधर, श्री नैनीताल
183-बंशीधर राज, श्री लखीमपुर खीरी
184-बची सिंह रावत, श्री अल्मोड़ा
185-बच्चा पाठक, श्री बलिया
186-बनवारी लाल दोहर, श्री फर्रुखाबाद
187-बनवारी सिंह, श्री बदायूं
188-बरखूराम वर्मा, श्री आजमगढ़
189-बलराम यादव, श्री आजमगढ़
190-बसंतलाल गुप्ता, श्री लखनऊ
191-बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
192-बाबू खां, श्री हरदोई
193-बाबूराम एम0काम0, श्री जालौन
194-बाबूराम यादव, श्री मैनपुरी
195-बाबूलाल गोयल, श्री आगरा
196-बालचन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
197-बाला प्रसाद, श्री खीरी
198-बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
199-बिन्दु लाल, श्री गोण्डा
200-बी0के0गुप्ता, श्री पीलीभीत
201-बृजभान यादव, डा0 इलाहाबाद
202-बृजराज त्रिपाठी, श्री बहराइच
203-बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
204-बृजेश कुमार शर्मा, श्री प्रतापगढ़
205-बेनी प्रसाद वर्मा, श्री बाराबंकी
206-बेजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
207-ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
208-भगवन्त प्रसाद, श्री इलाहाबाद
209-भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
210-भगवती प्रसाद शुक्ला, श्री लखनऊ
211-भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
212-भरत सिंह, श्री बलिया
213-भागवत पाल, श्री मिर्जापुर
214-भागीरथी, श्री इलाहाबाद
215-भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री जालौन
216-भारत सिंह रावत, श्री गढ़वाल
217-भोला शंकर मौर्य, श्री बदायूं
218-भोला सिंह, श्री इलाहाबाद
219-मथुरा प्रसाद, श्री कानपुर देहात
220-मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ बद्री प्रसाद, श्री फैजाबाद
221-मदन भैया, श्री मेरठ
222-मनव्वर हसन, श्री मुजफ्फरनगर
223-मन्नू लाल कुरील, श्री बांदा
224-मयंकर सिंह, श्री बहराइच
225-मस्तराम, श्री उन्नाव
226-महक सिंह, श्री मेरठ
227-महराज सिंह यादव, श्री इटावा
228-महावीर सिंह, श्री बिजनौर
229-महावीर सिंह, श्री हरदोई
230-महेन्द्र जैन, श्री मेरठ
231-महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा0 वाराणसी
232-महेन्द्र पाल सिंह, श्री बिजनौर
233-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री इलाहाबाद
234-महेन्द्र सिंह चौधरी, श्री अलीगढ़
235-महेन्द्र सिंह भाटी, श्री गाजियाबाद
236-मातबर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
237-माधव, श्री एटा
238-माम चन्द, श्री सहारनपुर
239-माया शंकर पाठक, श्री वाराणसी
240-मारकण्डेय, श्री बलिया
241-मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
242-मिही लाल, श्री हमीरपुर
243-मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
244-मुलायम सिंह यादव, श्री इटावा
245-मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
246-मोहम्मद मकीम, श्री सिद्धार्थ नगर
247-मोहम्मद रिजवानुल-हक, श्री मुरादाबाद
248-मोहम्मद वसीम हाजी, श्री रायबरेली
249-मोहम्मद हसन, श्री सहारनपुर
250-यदुनाथ प्रसाद, श्री गोरखपुर
251-यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
252-योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
253-रघुराज, श्री जौनपुर
254-रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
255-रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
256-रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
257-रमापति उर्फ रमाकान्त यादव, श्री देवरिया
258-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
259-रमेश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
260-रमेश पोखरियाल, श्री गढ़वाल
261-रमेश बहादुर सिंह, श्री प्रतापगढ़

262-रविकान्त गर्ग, श्री मथुरा
263-रवीन्द्र प्रताप, श्री देवरिया
264-रवीन्द्र शुक्ल, श्री झांसी
265-राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
266-राज नारायन बिन्द, श्री जौनपुर
267-राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
268-राजीव कुमार, श्री नैनीताल
269-राजेन्द्र, श्री बिजनौर
270-राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
271-राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री मिर्जापुर
272-राजेन्द्र सिंह, श्री एटा
273-राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
274-राजेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
275-राजेश कुमार, श्री वाराणसी
276-राधेश्याम वर्मा, श्री बाराबंकी
277-राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
278-राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
279-राम किशन ददाजू, श्री फिरोजाबाद
280-राम कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
281-राम कुमार शुक्ल, श्री लखनऊ
282-राम कृष्ण, श्री सीतापुर
283-राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
284-राम गोपाल वर्मा, श्री लखीमपुर खीरी
285-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
286-राम चन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
287-राम चरित्तर, श्री बस्ती
288-रामदेव आचार्य, श्री बाराबंकी
289-राम पारस रजक उर्फ नाटे, श्री जौनपुर
290-रामपाल, श्री हरदोई
291-राम पाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
292-राम प्यारे आजाद, श्री महराजगंज
293-राम प्यारे शुक्ल, श्री सुल्तानपुर
294-रामप्रताप सिंह, श्री गोण्डा
295-राम प्रसाद, श्री बुलन्दशहर
296-राम प्रसाद सिंह, श्री बांदा
297-राम मूर्ति सिंह, श्री शाहजहांपुर
298-राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
299-राम लखन, श्री फैजाबाद
300-राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
301-राम शरण, श्री लखीमपुर खीरी
302-राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
303-राम सरन सिंह, श्री अलीगढ़
304-राम सिंह, डा0 अलीगढ़
305-राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
306-राम सिंह, श्री हमीरपुर
307-राम सेवक, श्री बदायूं
308-राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
309-राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
310-राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुरदेहात
311-राम प्रियदर्शी, श्री फैजाबाद
312-रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
313-रामेश्वर नाथ चौबे, श्री बरेली
314-रुद्रेन्द्र विक्रम सिंह, श्री बहराइच
315-लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री बस्ती
316-लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
317-लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
318-लाखन सिंह, श्री नैनीताल
319-लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
320-लाज कृष्ण गांधी, श्री सहारनपुर
321-लाल चन्द, श्री जौनपुर
322-लालचन्द निषाद, श्री गोरखपुर
323-लालचन्द पाण्डेय, श्री वाराणसी
324-लाल जी वर्मा, श्री फैजाबाद
325-लीलाराम शर्मा, श्री पिथौरागढ़
326-वासुदेव सिंह, श्री बुलन्दशहर
327-विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट, श्री इलाहाबाद
328-विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बलिया
329-विजय कुमार त्रिपाठी राजा, श्री लखनऊ
330-विजय पाल सिंह, श्री आगरा
331-विजय पाल सिंह तोमर, श्री मेरठ
332-विजय सिंह, श्री सोनभद्र
333-विजय सिंह राणा, श्री आगरा
334-विजेन्द्र कुमार, श्री गाजियाबाद
335-विजेन्द्र सिंह, श्री मथुरा
336-विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
337-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
338-विशन दयाल, श्री बहराइच
339-विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
340-विश्वनाथ, श्री देवरिया
341-वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
342-वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री सहारनपुर
343-वेद प्रकाश, श्री बस्ती
344-श्याद अली, श्री प्रतापगढ़
345-शारदा चौहान, श्रीमती गाजीपुर
346-शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
347-शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर
348-शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
349-शिव दर्शन, श्री रायबरेली
350-शिवनाथ सिंह कुशवाहा, श्री कानपुर देहात

351-शिव नारायण मिश्र, श्री प्रतापगढ़
352-शिवपाल सिंह, श्री उन्नाव
353-शिवपूजन राम, श्री वाराणसी
354-शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
355-शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
356-शिव बालक पासी, श्री रायबरेली
357-शिव लाल मित्तल, श्री सिद्धार्थनगर
358-शिवकान्त, श्री प्रतापगढ़
359-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगं
360-श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
361-श्याम नारायण, श्री महराजगंज
362-श्याम बिहारी सिंह, श्री रायबरेली
363-श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
364-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
365-श्री निवास, श्री देवरिया
366-श्रीराम, श्री जालौन
367-श्रीराम, श्री मऊ
368-श्रीराम चौहान, श्री बस्ती
369-श्रीराम सिंह, श्री गोण्डा
370-सतीश भाटिया, श्री लखनऊ
371-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
372-सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
373-सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
374-सन्त बख्श रावत, श्री लखनऊ
375-सन्त श्री राम द्विवेदी, श्री फैजाबाद
376-समीउल्ला, श्री गोण्डा
377-सरजीत सिंह डंग, डा0 मिर्जापुर
378-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश,श्री मुरादाबाद
379-सुखदेव, श्री आजमगढ़
380-सुखवीर सिंह गहलोत, श्री गाजियाबाद
381-सुधाकर वर्मा, श्री एटा
382-सुधीर, श्री बलिया
383-सुधीर कुमार, श्री मुफ्फरनगर
384-सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
385-सुभाष चन्द्र पटेल, श्री बरेली
386-सुरेन्द्र प्रताप कुंवर, श्री बरेली
387-सुरेन्द्र नाथ, श्री बाराबंकी
388-सुरेन्द्र शुक्ला, श्री देवरिया
389-सुरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
390-सुरेश, श्री मुजफ्फरनगर
391-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
392-सुरेश प्रताप गांधी, श्री अलीगढ़
393-सुरेश भारती, श्री प्रतापगढ़
394-सुरेश संगल, श्री मुजफ्फरनगर
395-सुल्तान रजा मिर्जा,श्री जोनपुर
396-सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
397-सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
398-सोमनाथ शुक्ला ,डा0 कानपुर देहात
399-सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
400-सोमारू राम, श्री जौनपुर
401-स्वामी नाथ यादव, श्री देवरिया
402-हनुमन्त सिंह, श्री गोण्डा
403-हरक सिंह रावत, श्री गढ़वाल
404-हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
405-हरद्वार दूबे, श्री आगरा
406-हर नारायण सिंह, श्री रायबरेली
407-हरपाल, श्री बुलन्दशहर
408-हरबंश कपूर, श्री देहरादून
409-हरी चरन यादव, श्री सुल्तानपुर
410-हरिनारायण, श्री बलिया
411-हरिवंश सहाय, श्री देवरिया
412-हरिशंकर माहोर, श्री अलीगढ़
413-हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
414-हरिशचन्द्र, श्री बरेली
415-हरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फर नगर
416-हृदय नाराण दीक्षित, श्री उन्नाव
417-होराम, श्री बुलन्दशहर

बिहार पंचायत सचिव

राज्यपाल
श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी

मंत्रि-परिषद्

1-श्री कल्याण सिंह, मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, सूचना निर्वाचन, नागरिक उड्डयन, गृह, आवास तथा उद्योग, जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा ।
2-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री ।
3-श्री लालजी टण्डन	ऊर्जा मंत्री।
4-श्री गंगा भक्त सिंह	कृषि मंत्री ।
5-श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री ।
6-श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी	राजस्व मंत्री ।
7-श्री राज नाथ सिंह	माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री ।
8-श्रीमती प्रेमलता कटियार	नगर विकास मंत्री ।
9-श्री सत्य प्रकाश विकल	आबकारी, परिवहन, पूर्तधर्मस्य मंत्री ।
10-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री ।
11-डा0 सरजीत सिंह डंग	लोक निर्माण मंत्री ।
12-श्री हनुमन्त सिंह	गन्ना विकास मंत्री ।
13-श्री रमापति शास्त्री	समाज कल्याण मंत्री ।
14-श्री ऐजाज रिजवी	खाद्य एवं रसद, मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
15-श्री सुधीर कुमार बलियान	सहकारिता मंत्री ।
16-श्री केदार सिंह फोनिया	पर्यटन,सांस्कृतिक कार्य,युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री ।

राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

1-श्री उमा नाथ सिंह	कारागार एवं राजनैतिक पेंशन
2-श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	पंचायती राज

विधान सभा प्रदेश

3-श्री चन्द्र शेखर सिंह	पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य ।
4-श्री शिव प्रताप शुक्ल	बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा।
5-श्री पूरन चन्द शर्मा	पर्वतीय विकास।

राज्य मंत्री

1-श्री सूर्य प्रताप शाही	गृह
2-श्री धनराज यादव	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
3-श्री राम कुमार वर्मा	लोक निर्माण
4-श्री मस्त राम	नागरिक आपूर्ति
5-श्री अमरनाथ यादव	माध्यमिक शिक्षा
6-श्री मयंकर सिंह	लघु उद्योग
7-श्री रविकान्त गर्ग	ऊर्जा
8-श्री हरद्वार दुबे	संस्थागत वित्त
9-श्री सुरेश कुमार खन्ना	नगर विकास
10-श्री बाल चन्द्र मिश्र	श्रम तथा सेवायोजन
11-श्री शिव बहादुर	मन्ना विकास
12-श्री हरवंश कपूर	ग्राम्य विकास
13-श्री बाबू राम एम0काम0	खाद्य
14-श्री बृजेश कुमार शर्मा	परिवहन
15-श्री सूरज सिंह शाक्य	सहकारिता
16-श्री बालेश्वर त्यागी	राजस्व
17-श्रीमती शारदा चौहान	नियोजन
18-डा0 अमर सिंह	1-चिकित्सा 2-परिवार नियोजन
19-श्री अनिल कुमार तिवारी	समाज कल्याण
20-श्री महाबीर सिंह	1-कृषि शिक्षा 2-कृषि अनुसंधान
21-श्री हरख सिंह	पर्यटन
22-श्री पृथ्वी सिंह	सिंचाई

उप मंत्री

1-श्री राम सरन वर्मा	दुग्ध
2-श्री पतिराज	पंचायतराज
3-श्री मन्नू लाल कुरील	1-कारागार 2-होमगार्डस

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता, विरोधी दल

कुंवर रेवतीरमण सिंह — जनता दल (ब)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष
श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष
रिक्त

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री राम प्यारे शुक्ल, सदस्य, विधान सभा ।
2-श्री जटाशंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा ।
3-श्री बसन्त लाल गुप्ता, सदस्य, विधान सभा ।
4-श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा", सदस्य, विधान सभा ।
5-श्री सोमनाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा ।
6-श्री विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा ।
7-श्रीमती विमला राकेश, सदस्य, विधान सभा ।
8-कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा ।
9-श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ।
10-श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा ।

सचिव
श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

1-श्री अतीक अहमद, श्री इलाहाबाद
2-अफजाल अंसारी, श्री गाजीपुर
3-इन्द्र देव सिंह, श्री बिजनौर
4-इस्लाम साबिर, श्री बस्ती
5-उमाकान्त यादव, श्री जौनपुर
6-ओम प्रकाश, श्री गोरखपुर
7-ओम प्रकाश, श्री बिजनौर
8-कंवर पाल मास्टर, श्री सहारनपुर
9-किशोरी श्याम, श्री मथुरा
10-कृष्ण किंकर सिंह, श्री बस्ती
11-कृष्ण स्वरुप, श्री बदायूं
12-छोटे लाल मिश्र, श्री हमीरपुर
13-जगदीश सिंह, श्री सहारनपुर
14-नारायण दत्त तिवारी, श्री नैनीताल
15-पवन कुमार पाण्डेय, श्री फैजाबाद
16-पूरन चन्द्र शर्मा, श्री अल्मोड़ा
17-पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
18-प्रभा शंकर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
19-प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी,श्री सिद्धार्थनगर
20-बालचन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
21-ब्रहमदत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
22-भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
23-भगवती प्रसाद शुक्ल,श्री लखनऊ
24-भरत सिंह, श्री बलिया
25-मदन भैया, श्री मेरठ
26-मनव्वर हसन, श्री मुजफ्फर नगर
27-मन्नू लाल कुरील, श्री बांदा
28-मयंकर सिंह, श्री बहराइच
29-महराज सिंह यादव, श्री इटावा
30-माधव, श्री एटा
31-मामचन्द्र, श्री सहारनपुर
32-मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
33-मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थ नगर
34-रमाकांत यादव, श्री आजमगढ़
35-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
36-रमेश बहादुर सिंह, श्री प्रतापगढ़
37-राजेन्द्र सिंह, श्री एटा
38-राम कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
39-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
40-राम प्यारे आजाद, श्री महराजगंज
41-राम शरण, श्री लखीमपुर खीरी
42-रामसरन वर्मा, श्री पीलीभीत
43-लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
44-लालचन्द निषाद, श्री गोरखपुर
45-विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट, श्री इलाहाबाद
46-विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री बलिया
47-विजेन्द्र कुमार, श्री गाजियाबाद
48-वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फर नगर
49-शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
50-शिवकान्त, श्री प्रतापगढ़
51-श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
52-सतीश भाटिया, श्री लखनऊ
53-समीउल्ला, श्री गोण्डा
54-सुखदेव, श्री आजमगढ़
55-सुधाकर वर्मा, श्री एटा
56-सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
57-हरक सिंह रावत, श्री गढ़वाल
58-हर नारायण सिंह, श्री रायबरेली
59-हरि नारायण, श्री बलिया
60-हरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
61-होराम, श्री बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उप चुनाव में निर्वाचित कतिपय सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आज की विधान सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व, उप चुनाव में कुछ माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य निर्वाचित घोषित हुए हैं उन्होंने शपथ नहीं ली है । मैं सचिव को निदेश देता हूं कि वे उनके नाम पुकारें और यदि वह यहां उपस्थित हों तो कार्यवाही से पूर्व आकर शपथ ले लें ।

(नवनिर्वाचित सदस्यगण श्री मुलायम सिंह यादव, श्री धर्मपाल यादव उर्फ डी0पी0 यादव एवं श्री इन्द्र पाल सिंह ने विधान सभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण की)

व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

अध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधान सभा का विधिवत सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है। आपकी ओर से समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचना दी गयी थी कि आज 11 बजे से विधान सभा मण्डप में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा । श्रीमान्, वह सूचना, जहां तक हमने मालूम किया है, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव व अन्य माननीय सदस्यों को भी गयी, जिन्होंने शपथ नहीं ली थी । शपथ न लेने के कारण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आने से वे वंचित रह गये, जबकि उनको बुलाया गया था । यह एक तरह से उनके अधिकारों का हनन है, शपथ पहले क्यों नहीं करवा दी गयी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । उन्हें किसी ने रोका नहीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, संविधान के अनुसार बगैर शपथ लिये सभा मण्डप में नहीं आ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

उन्हें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिये बुलाया गया लेकिन वे वंचित रह गये ।

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बिना शपथ लेकर उपस्थित हो सकते हैं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-1 लिये जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

(सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए) मुलायम सिंह यादव जी के नाम से यह इतना घबराये नहीं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मद संख्या-1 पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, संभवतः आप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ने जा रहे हैं ।

मान्यवर, यह सदन साक्षी है कि महामहिम राज्यपाल के यहां आने के बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने इतनी अव्यवस्था उत्पन्न कर दी कि महामहिम राज्यपाल ने क्या पढ़ा ? यह किसी ने नहीं सुना ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जब महामहिम राज्यपाल जी का कोई अभिभाषण पढ़ा ही नहीं गया तो उसे आप कैसे पढ़कर सुनायेंगे ? जब लोगों ने एक शब्द भी नहीं सुना तो मान्यवर, आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं ? जब वह पढ़ा ही नहीं गया तो उसे आप पढ़कर सुना नहीं सकते हैं । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का एक शब्द भी नहीं सुना गया ।

(व्यवधान)

एक सदस्य-

उन्होंने पूरा का पूरा अभिभाषण पढ़ा ।

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष जो अभिभाषण दिया गया, उसे मैं पढ़ रहा हूं ।

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवसथा का प्रश्न है ।

मान्यवर, एक सदन की परम्परा रही है कि जो व्यक्ति विधान परिषद् के सदस्य होते हुए मंत्री होते हैं उनका पहले परिचय कराया जाता है । उनका परिचय कराये बगैर यहां कार्य आरम्भ हो गया । इसमें बहुत से ऐसे हैं जो चोर दरवाजे से आये हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवसथा का प्रश्न नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, लोक सभा में भी ऐसी परम्परा रही है, पहले परिचय कराया जाता है ।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ

श्री अध्यक्ष-

"माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1992 के प्रथम सत्र के अवसर पर नव-वर्ष की शुभकामनाओं सहित आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए आपको सम्बोधित करने का शुभ अवसर पाकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस निवेदन को स्वीकार करते हुए इसे पढ़ा हुआ मानता हूं ।

/2-विधान मण्डल के सदस्य श्री गुरु चरण सिंह रोशन और श्री परमाई लाल अब हमारे बीच में नहीं रहे । इन दिवंगत आत्माओं के प्रति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इस बीच अन्य विभूतियां जो इस संसार से बिदा हो गयीं, उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । इस क्रम में मैं महान संगीतज्ञ स्व0 कुमार गंधर्व का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा ।

नोट-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3-वर्ष 1991 में हमारे प्रदेश को पहले सूखा फिर भयंकर भूकम्प का सामना करना पड़ा। 19 और 20 अक्टूबर के बीच की रात में गढ़वाल क्षेत्र में भूकम्प के कारण जान-माल की भारी क्षति हुई । इस विभीषिका से दुखी और संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं । भूकम्प से गढ़वाल क्षेत्र के लगभग 2,093 गांवों में चार लाख से अधिक जनसंख्या प्रभावित हुई, 768 लोगों की जानें गयीं, 5,066 व्यक्ति घायल हुए, 3095 मवेशी मरे एवं 20,184 मकान पूर्णतया तथा 79,211 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए । अनुमानतः इससे 400 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति की हानि हुई है ।

4-मुझे संतोष है कि हम अपने अथक प्रयासों से इस अभूतपूर्व दैवी आपदा का सामना करने में सफल रहे हैं । राहत कार्य सुनियोजित व समय-बद्ध तरीके से चलाया गया है । प्रभावित क्षेत्र में युद्धस्तर पर निःशुल्क खाद्य सामग्री, दवायें, गर्म कपड़े, कम्बल, टिनशीट, त्रिपाल, आदि वितरित किये गये । प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 30 हजार रुपये, गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को पांच हजार रुपये व सामान्य रूप से घायल को दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी । पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 20 हजार रुपये तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये पांच हजार रुपये अनुदान के रूप में दिये गये तथा जिन भवनों में अत्यन्त साधारण मरम्मत की आवश्यकता थी, वहां 500 रुपये की सहायता धनराशि दी गयी। पूर्णतः क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण हेतु प्रति परिवार 15 हजार रुपये "हडको" से ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । अनुसूचित जाति/जनजाति के पूर्णतः क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण के संदर्भ में ऋण के स्थान पर 15 हजार रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । भूकम्प पीड़ितों को वर्षा एवं ठण्ड से बचाने के लिये दो हजार सामुदायिक आश्रयों का निर्माण युद्धस्तर पर हो रहा है । सार्वजनिक सम्पत्तियों की भारी क्षति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यमों से कार्य सम्पादन हेतु 29 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं । राहत कार्यों के लिये अब 85 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है । प्रशासनिक दृष्टि से यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को समय से समुचित राहत मिल जाय । इसके लिए न सिर्फ छोटी-छोटी टोलियां गठित कर एवं उनके प्रभावी पर्यवेक्षण के द्वारा राहत का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है, अपितु राहत कार्ड प्रणाली के अन्तर्गत सहायता सामग्री का विवरण भी अंकित किया जा रहा है ।

5-इस भीषण दैवी आपदा ने पूरे राष्ट्र के जनमानस को झकझोर दिया है आप सहमत होंगे कि इस प्रकार के अभूतपूर्व संकट का सामना करने में कोई भी राज्य अपने सीमित संसाधनों के बल पर सक्षम नहीं होगा । राज्यों की इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ही नवम् वित्त आयोग ने इन दैवी आपदाओं की स्थिति में अवशेष सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था अपनी रिपोर्ट के प्रस्तर 6.18 में की है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को सभी सुसंगत सूचनायें औचित्य सहित उपलब्ध कराते हुए 152 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी गयी है परन्तु इतना समय बीतने के बाद भी वांछित धनराशि नहीं उपलब्ध करायी गयी है । अब तक केन्द्र से केवल 2.05 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री राहत कोष से तथा 25 करोड़ रुपये अर्थोपाय अग्रिम के रूप में प्राप्त हुए हैं। स्पष्टतया यह धनराशि राहत कार्य के लिये अत्यंत अपर्याप्त है। विशेष सहायता राशि के अभाव में प्रभावित क्षेत्र में चलाये जा रहे राहत कार्यों को पूर्ण कराने में राज्य सरकार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार के तर्कपूर्ण प्रस्ताव को मानने में केन्द्र सरकार वगैर और विलम्ब किये अब शीघ्र स्वीकृति देगी तथा इसके साथ ही विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य विचाराधीन 178 करोड़ रुपये की एक पुनर्निर्माण योजना को शीघ्र अन्तिम रूप देगी ।

6-यह अत्यन्त संतोष की बात है कि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रो में सहायता कार्य के लिये विभिन्न राज्य सरकारों, संस्थाओं तथा समूहों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है । स्वयंसेवी संगठनों ने मौके पर जाकर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ एकजूट होकर राहत कार्य में भाग लिया । ऐसा प्रतीत हुआ कि गढ़वाल मडल की इस भारी क्षति को पूरे देश ने अपनी निजी क्षति माना । मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

7-विश्व में पिछले वर्ष ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं और समीकरण बदले हैं । इन परिवर्तनों ने आर्थिक और राजनैतिक विचाराधारा को प्रभावित किया है । हम इससे अछूते नहीं रह सकते । हमें भी विभिनन समस्याओं को सुलझाने के लिये तथा विकास को त्वरित गति देने के लिये मौलिक चिन्तन करना होगा । मुझे आशा है कि आप इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे और राजनैतिक लाभ, वैचारिक संकीर्णता और दलगत भावना से ऊपर उठकर इस महान प्रदेश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे ।

8-जिन परिस्थितियों में जून 1991 में मेरी सरकार ने शासन की बागडोर संभाली उनसे आप भलीभांति अवगत हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अत्यधिक अस्थिरता एवं अव्यवस्था, आर्थिक स्थिति में ह्रास, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर वृद्धि तथा मुद्रास्फीति से सामान्य जनजीवन त्रस्त रहा । राजनैतिक एवं साम्प्रदायिक तनाव तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रति बढ़ रही उपेक्षा से सामान्य जनता में निराशा की भावना उत्पन्न हो गयी थी । संकीर्ण जातीयता, विकृत धर्मनिरपेक्षता, जर्जर शान्ति व्यवस्था, अनुशासनहीनता, अशान्ति और कुव्यवस्था तथा बढ़ती हुई मंहगाई का दृढ़ता से मुकाबला करने के लिए मेरी सरकार ने अनेक सफल कदम उठाये हैं और राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का स्तर ऊंचा करने का भरपूर प्रयास किया है । उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए सात मास की अवधि कोई अवधि नहीं होती फिर भी इस थोड़े से समय में मेरी सरकार ने राज्य को कुशल, स्वच्छ एवं गतिशील प्रशासन प्रदान किया है । समाज के हर वर्ग में आज एक नया विश्वास पैदा हुआ है ।

9-मेरी सरकार ने दंगारहित प्रदेश एवं भयमुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं । माफिया गिरोह, अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध बिना किसी पक्षपात के कठोर कार्यवाही की जा रही है । इन्हीं प्रयासों से आज समाज के हर वर्ग में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा की भावना पनपी है । प्रदेश में सभी धर्मों के त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाये गये । कतिपय स्थानों पर हिंसा और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई । प्रशासन ने इन परिस्थितियों में उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है । अनुसूचित जातियों एवं समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है । मेरी सरकार ने प्रशासन में ऐसे दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित किया है जिन्होंने उत्पीड़न के मामलों में तत्काल निरोधात्मक अथवा घटना के पश्चात् मौके पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की ।

10-प्रदेश में तराई क्षेत्र में आतंकवाद राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय है । इस समस्या से निपटने के लिये स्थायी और दीर्घकालीन कदम उठाने होंगे । संवेदनशील थानों का सुदृढीकरण, नई पुलिस चौकियों की स्थापना, वाहन एवं संचार सुविधा का प्रसार, पुलिस बलों को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया जाना, प्रशिक्षण, आदि प्रमुख योजनायें हैं । निश्चय ही आतंकवाद का वर्तमान स्वरूप एक

प्रदेश विशेष तक ही सीमित नहीं है बल्कि समूचे राष्ट्र के लिये यह एक चुनौती है । प्रदेश के संसाधनों की अपनी सीमा है । इस हेतु केन्द्रीय बलों की पर्याप्त संख्या में तैनाती, आधुनिक शस्त्रों की उपलब्धता एवं केन्द्र से अतिरिक्त सहायता की मांग की गयी है जो अभी अपेक्षित मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकी है ।

11-कुछ माह पहले राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् में राम जन्म भूमि प्रकरण पर चर्चा हुई थी । प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरी सरकार के मुख्य मंत्री ने परिषद की बैठक में यह स्पष्ट किया था कि रामजन्म भूमि का प्रकरण न राजनीति का है और न ही साम्प्रदायिक मुद्दा है । यह नितान्त राष्ट्रीय मुद्दा है क्योंकि राम इस देश के हिन्दू और मुसलमान, सिख और ईसाई, सभी के पूर्वज हैं । कोई भी राष्ट्र अपने पूर्वजों को नहीं भूल सकता है । इसी लिये राम मन्दिर के प्रकरण को लम्बे समय तक लटकाया नहीं जा सकता । मेरी सरकार ने परस्पर वार्ता से मामले का हल ढूंढने की पहल की है । सरकार के द्वार वार्ता के लिये खुले हैं । इसी कारण से मेरी सरकार ने अयोध्या में सांस्कृतिक धरोहर एवं पर्यटन विकास के लिये जिस भूमि का अधिग्रहण किया है उस परिधि से विवादित ढांचे के हिस्से को बाहर रखा है, हालांकि सरकार के पास उसे अधिगृहीत करने के कानूनी अधिकार हैं । लेकिन यदि वार्ता सफल नहीं हुई तो मेरी सरकार राम मन्दिर बनाने के लिये कानूनी दृष्टि से हर कठिनाई दूर करने हेतु वचनबद्ध है । मेरी सरकार का यह मत है कि राम मन्दिर निर्माण से साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता की भावना दृढ़ होगी ।

12-पिछले वर्षों में जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सिद्धान्तों को नजरअदांज करते हुए कार्यक्रम चलाये गये, अनुत्पादक एवं अनावश्यक मदों में व्यय हुए, उसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने स्पष्ट हैं । केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ माहों में आधारभूत मौलिक निर्णय लिये हैं। अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये का अवमूल्यन हुआ है । पेट्रोलियम उत्पादन-विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस के मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ कोयले की दरों में बढ़ोत्तरी हुई । खाद्य पदार्थों एवं उर्वरकों में प्रचलित अनुदान में कमी हुई है । परिणाम स्वरुप सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपलब्ध गेहूं, चीनी, चावल आदि के मूल्यों में वृद्धि हुई है इसी प्रकार किसानों के लिये मिल रही खाद के मूल्य में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । लोहे पर से मूल्य नियंत्रण समाप्त किया गया है जिसका प्रतिकूल प्रभाव उन प्रदेशों पर पड़ रहा है जहां लोहे के कारखाने नहीं है । रेलवे से माल भाड़े की दरों में भी वृद्धि हुई है । यदि केन्द्र सरकार एक-तरफ निर्णय के बजाय राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के विषय पर निर्णय लेती तो राज्य सरकारों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलता और बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल राज्य सरकारों द्वारा भी कदम उठाये जा सकते थे । इसके अभाव में प्रमुख परिवर्तन यह हुआ है कि अधिकांश वस्तुओं एवं मुख्य रूप से खाद्यान्न तथा उर्वरक के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जिससे एक ओर आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर मेरी सरकार के सीमित संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिये मेरी सरकार को अपने स्तर से अनेक कदम उठाने पड़े हैं । मेरी सरकार ने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उर्वरक एवं पाठ्य पुस्तकों की मदों में अनुदान देकर मूल्य वृद्धि से आम जनता को आंशिक राहत पहुंचायी ।

13-जैसा कि आप अवगत हैं, पंचवर्षीय योजना का कार्य पुन: नये सिरे से प्रारम्भ किया गया है । मेरी सरकार ने योजना आयोग को आठवीं पंचवर्षीय योजना 28,000 करोड़ रुपये की प्रस्तुत की है । योजना में ग्राम्य विकास, रोजगार के नये अवसर एवं सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गयी है । विकास की दर 6 प्रतिशत निर्धारित की गयी है ।

14-उत्तर प्रदेश लगभग सभी आर्थिक एवं सामाजिक संकेतकों में अन्य राज्यों तथा राष्ट्रीय औसत से पीछे है और इसका मुख्य कारण यह रहा है कि पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश अन्य प्रदेशों की तुलना में कम था । वास्तविकता तो यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति व्यय का राष्ट्रीय औसत 1.164 रुपये था जबकि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत 992 रुपये था । आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ मेरी सरकार ने वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना को भी केन्द्रीय योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। वार्षिक योजना का आकार 4.034करोड़ रुपये था । प्रदेश के लिये यह संतोष की बात थी कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने प्रदेश के साथ पिछले वर्षों में हो रहे अन्याय को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992-93 के लिये योजना का आकार 4,542.1 करोड़ रुपये करने की संस्तुति आयोग से की ।

15-सरकार को यह आशा थी कि योजना आयोग पुरानी कार्य पद्धति से हटकर क्षेत्रीय असंतुलन जैसे गम्भीर मुद्दों पर विचार करके केन्द्रीय सहायता उपलबध करायेंगे । इसी पृष्ठभूमि में सरकार की ओर से यह मांग की गयी थी कि केन्द्र सरकार सामान्य सहायता के अतिरिक्त विशेष समस्या के मद से सहायता, अतिरिक्त बाजार ऋण एवं गढ़वाल मण्डल के भूकम्प हेतु अनुदान की व्यवस्था करायेंगे । परन्तु राज्य सरकार को तब निराशा हुई जब वर्तमान योजना आयोग ने अपने ही कार्यकारी दल की संस्तुति पर सम्यक विचार किये बिना केवल तकनीकी गुणा-भाग कर राज्य सरकार की वार्षिक योजना का आकार मात्र 2,550 करोड़ रुपये निर्धारित किया । पहले से चल रही आनपारा-बी योजना, जिस पर लगभग 2,000 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं, को वार्षिक योजना में शामिल तक नहीं किया गया । स्पष्टत: यह मेरी सरकार को मान्य नहीं हो सकता था और इस स्थिति से योजना आयोग को अवगत भी करा दिया गया है । मेरी सरकार ने एक पत्र लिखकर आदरणीय प्रधान मंत्री जी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है । मैं उम्मीद करता हूं कि केन्द्र सरकार प्रदेश की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखकर शीघ्र ही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता घोषित करेगी ।

16-यह चिन्ता का विषय है कि केन्द्र सरकार के विभागीय उपक्रमों के माध्यम से प्रदेश में विनियोग का प्रतिशत लगभग 8.6 है जबकि जनसंख्या के आधार पर लगभग 16 प्रतिशत होना चाहिये । स्पष्ट है कि जहां एक ओर राज्य की वार्षिक योजना में कटौती हो रही है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार के माध्यम से भी पूंजी विनियोजन में वृद्धि नहीं हुई है । एक और चिन्ता का विषय यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी ऋण जमा अनुपात लगभग 47 प्रतिशत ही रहा है, अर्थात् प्रदेश से जमा पूंजी में बढ़ोत्तरी हुई है जबकि प्रदेश में विभिन्न बैंकों से ऋण स्वीकृत कर पूंजी विनियोजन कम हुआ है । इस प्रकार राज्य की बचत का उपयोग प्रदेश के बाहर की परियोजनाओं में हुआ है । निश्चय ही पूंजी विनियोजन की ऐसी अव्यवहारिक एवं तर्कहीन अव्यवस्था से राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को अपेक्षित गति नहीं मिलेगी । इसी पृष्ठभूमि में केन्द्र के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण योजनायें लम्बित हैं जिन पर यदि शीघ्र निर्णय ले लिया जाय तो क्षेत्रीय

असंतुलन में आंशिक सुधार हो सकेगा । औरयया गैस क्रैकर परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये है, की अंतिम स्वीकृति केन्द्र के स्तर पर लम्बित है । उल्लेखनीय है कि इस योजना का क्रियान्वयन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, जो केन्द्र सरकार का ही सार्वजनिक उपक्रम है, के द्वारा किया जाना है । सलेमपुर एरोमेटिक काम्पलेक्स परियोजना हेतु विदेशी-तकनीकी की स्वीकृति केन्द्र में लम्बे समय से विचाराधीन है । राज्य सरकार ने सुल्तानपुर (जगदीशपुर) तथा शाहजहांपुर में गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में लगने वाली ऊर्जा इकाई हेतु गैस आवंटन की मांग की है । इसी प्रकार वर्तमान में एच0बी0जे0 पाइप लाइन को जगदीशपुर से गोरखपुर के विस्तार एवं फिरोजाबाद-आगरा तथा गाजियाबाद खुर्जा-नोयडा संभाग में गैस वितरण व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव किया है यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में आने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से यहां अन्य प्रकार के ईंधन का उपयोग उद्योग के लिये नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार राज्य सरकार ने मैसर्स स्कूटर इंडिया लिमिटेड, जो वर्तमान में रुग्ण ईकाई है तथा फर्टीलाइजर कारपोरेशन की गोरखपुर इकाई के पुनर्निर्माण की मांग की है । आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में गन्ने के बढ़े उत्पादन के कारण चीनी मिलों की तत्काल आवश्यकता है । वर्तमान में चीनी मिलों में केवल लगभग 30 प्रतिशत गन्ने की पेराई की क्षमता है । मेरी सरकार ने 50 चीनी मिलों के लाइसेंस की मांग की है एवं निजी उद्यमियों के प्रार्थना-पत्र भी केन्द्र सरकार को अग्रसारित कर दिये हैं । यदि इन पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाय तो प्रदेश में चीनी मिलों के साथ-साथ शीरे पर आधारित उद्योगों का भी विस्तार हो सकेगा । ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के आनपारा-बी योजना हेतु आर्थिक सहायता के प्रकरण के साथ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर भी अंतिम निर्णय केन्द्र के स्तर पर लम्बित हैं । मैंने अनेक लम्बित प्रकरणों में से इन विशिष्ट योजनाओं का इसलिये उल्लेख किया है क्योंकि संघीय ढांचे में प्रदेश के त्वरित विकास के लिये केन्द्र की भी जिम्मेदारी बनती है । अतः मेरी सरकार अपेक्षा करती है कि निकट भविष्य में केन्द्र सरकार द्वारा लम्बित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत मिल सकेगी ।

17-जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नयी आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप मंहगाई में वृद्धि हुई है । गत कुछ सप्ताहों में भारत सरकार ने उचित दर की दुकानों से वितरित किये जाने वाले गेहूं, चावल, आयातित खाद्य तेल व चीनी के मूल्यों में क्रमशः प्रति किलोग्राम 55 पैसे, एक रुपया सात रुपये और 80 पैसे वृद्धि की घोषणा की है ।

18-इन निर्णयों का परिणाम हुआ है कि खुले बाजार में इन सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है । सबसे अधिक वृद्धि इस समय गेहूं के मूल्यों में हुई है। स्पष्ट है कि खुले बाजार में प्रचलित ऊंचे मूल्यों को देखते हुए अधिक से अधिक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की आपूर्ति उचित दर की दुकानों से करने की अपेक्षा रखते हैं और इसी अपेक्षा की आपूर्ति न होने पर उनमें असंतोष उत्पन्न होता है ।

19-उत्तर प्रदेश को मात्र 600-700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से खाद्य का आवंटन हो रहा है वहीं अन्य प्रदेशों में औसतन 2000 से 7083 ग्राम तक का आवंटन है । लगभग 14 करोड़ जनसंख्या के इस प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा 50,000 मीट्रिक टन गेहूं व 30,000 मीट्रिक टन चावल का आवंटन प्रतिमाह किया जा रहा है । इस असमानता को केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाया भी गया है।

वर्तमान में जो खाद्यान्नों की मात्रा प्रति इकाई निर्धारित है उसके अनुसार प्रदेश को कम से कम 2.50 लाख टन गेहूं एवं दो लाख टन चावल की प्रतिमाह आवश्यकता होगी । इससे स्पष्ट है कि जो प्रति व्यक्ति घोषित मात्रा निर्धारित है उसके अनुसार जिस मात्रा की आवश्यकता है और जो आवंटन प्राप्त हो रहा है उसमें बड़ा अन्तर है । इस अन्तर को समाप्त करने के लिये केन्द्र सरकार से समय-समय पर मेरी सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अनुरोध किया है जिसे केन्द्र ने अभी स्वीकार नहीं किया है । जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश द्वारा एक बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति केन्द्रीय पूल के लिये की जाती है, अतः जन-साधारण में यह असंतोष स्वाभाविक है कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार केन्द्रीय पूल से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन नहीं हो रहा है । प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस विषय में आदरणीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है और पुनः निवेदन किया है कि इस असमानता को दूर करके प्रदेश के लिये गेहूं, चावल, चीनी के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की जाय ।

20-मेरी सरकार विवरण प्रणाली को चुस्त और सुदृढ़ करके उपभोक्ताओं को यथासम्भव राहत पहुंचाने के लिये कृत संकल्प है । काला-बाजारी , मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है । एक अगस्त से 31 दिसम्बर, 1991 के मध्य राशन कार्ड के 2 करोड़ 60 लाख फर्जी यूनिट निरस्त किये गये । मेरी सरकार व्यापारी वर्ग से भी अपेक्षा करती है कि वह स्व-अनुशासन से अपने सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए मूल्यों की वृद्धि रोकने में योगदान करें ।

21-प्रदेश के सुनियोजित एवं बहुमुखी विकास के लिये सरकार विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कटिबद्ध है । प्रदेश की खुशहाली, गांव की खुशहाली पर निर्भर है । मेरी सरकार ने गांव के विकास को वरीयता दी है वार्षिक योजना में लगभग 60 प्रतिशत परिव्यय गांव के विकास के लिये आवंटित किया जायेगा । मेरी सरकार ने एक नारा दिया था "नई सरकार जनता के द्वार"। किसान सेवा केन्द्र की स्थापना, इसी संकल्प को साकार करने के लिये की जा रही है । उर्वरक, बीज, ऋण, इत्यादि कृषि संबंधी सुविधाओं के साथ अब अन्य कल्याणकारी सुविधायें, जो ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से मिलती हैं, भी न्याय पंचायत स्तर पर प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध होंगी। सरकार का यह संकल्प है कि किसानों की समस्याओं का समाधान न्याय पंचायत स्तर से हो जाय । इसी प्रकार विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समस्याओं का समाधान भी स्थानीय स्तर पर हो सकेगा ।

22-एकीकृत ग्रामीण विकास योजना और जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार के अवसर एवं स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन का कार्य किया जा रहा है। लघु एवं सीमान्त कृषकों की सिंचन क्षमता बढ़ाने क लिये दिसम्बर माह तक एक लाख से अधिक निःशुल्क बोरिंग कार्य पूर्ण कराया जा चुका है । जनवरी, 1992 तक निर्धारित 20,000 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लक्ष्य के विपरीत 19,339 नलकूपों की ऊर्जीकरण किया जा चुका है।

23- गत 6 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 70 हजार हेक्टेअर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई की गई, जिसमें 9 हजार हेक्टेअर नहरों द्वारा और 61 हजार हेक्टेअर नलकूपों द्वारा सींचा गया । 'दीनदयाल सिंचाई योजना' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बहुल 100 ग्रामों में राजकीय नलकूपों का निर्माण किया गया है । सिंचाई संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जनपद सिंचाई बन्धु की स्थापना की गयी है। मेरी सरकार क्षेत्रीय सिंचन विषमता दूर करेगी ।

24- मेरी सरकार नदियों के जल बटवारे के विवादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श के माध्यम से हल करने का पूर्ण प्रयास कर रही है। इस दिशा में हाल ही में मध्य प्रदेश के साथ मंत्री स्तर पर वार्ता द्वारा वर्षों से लंबित प्रकरणों पर समझौता हुआ है । इस समझौते से प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुबिधाओं के विकास को नई गति मिलेगी ।

यमुना नदी के जल बंटवारे के प्रकरण में भी राज्य के हितों की पूर्ण रक्षा करते हुए शीघ्र समझौता करने की दिशा में मेरी सरकार तत्पर है । मुझे विश्वास है कि इस विवाद से जुड़े अन्य प्रदेशों द्वारा भी समस्या के समाधान हेतु रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जायेगा ।

25-केन्द्र की नयी औद्योगिक नीति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के औद्योगिक विकास के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है जिनमें अवस्थापना सुबिधाओं का उच्चीकरण, प्रोत्साहनों तथा सुविधाओं को आकर्षक तथा प्रशासन तंत्र को और अधिक सकारात्मक बनाना प्रमुख है । मेरी सरकार ने नीतियों से मोलिक परिवर्तन करते हुए यह निर्णय लिया है कि अवस्थापना सुबिधाओं के विकास में निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जायेगा । उद्योगों की स्थापना और उनके संचालन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये श्रम, पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण, विक्रीकर, विद्युत व्यवस्था आदि संबंधी प्रक्रियाओं को सरलीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है । क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े उत्तरांचल, बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है । निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यक सुबिधायें प्रदान की गयी हैं । खादीस, रेशम और अन्य ग्रामोद्योगों के लिये सुबिधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि स्वरोजगार में वृद्धि हो सके ।

26-प्रदेश के अन्दर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों इसके लिये न सिर्फ स्वदेशी उत्पादन बल्कि स्वदेशी मनोवृत्ति एवं आधुनिकीकृत स्वदेशी तकनीकी को पूर्ण प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर मेरी सरकार बल देती है ।

27- मेरी सरकार औद्योगिक श्रमिकों के हितों की रक्षा के प्रति भी जागरूक है । स्वस्थ श्रमिक संगठन राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक होंगे । औद्योगिक विकास एवं श्रमिक कल्याण का सीधा सम्बन्ध है । मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष

औद्योगिक सम्बन्ध अपेक्षाकृत सौहार्दपूर्ण रहे । पिछले 8 महीनों में 21 अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्षण किया गया । इससे संगठित क्षेत्र के लगभग 50 लाख श्रमिकों को लाभ मिला है । संगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को बोनस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है जो ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जहां उनकी संख्या 10 से ऊपर है ।

28- जन जीवन एवं राज्य के औद्योगिक व आर्थिक विकास में विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है । मेरी सरकार को एक रुग्ण विद्युत परिषद् को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी मिली है । इस वर्ष सिंचाई एवं कृषि कार्यों के लिये पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गई । उपभोक्ता सुविधाओं में प्रसार को ठोस कदम उठाया गया । विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में जनरेटर लगाने हेतु पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता से इकाई को मुक्त कर दिया गया है । परिषद के व्यय में मितव्ययिता और विद्युत चोरी रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं। विद्युत राजस्व की वसूली में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। जहां एक ओर विद्युत परिषद की कार्य प्रणाली में सुधार के कदम उठाये जा रहे हैं वही ऊर्जा उत्पादन हेतु भी नये रचनात्मक निर्णय लिये गये हैं । मेरी सरकार का यह प्रयास है कि श्रीनगर परियोजना को पुनर्जीवित किया जाय जिसके लिये विश्व बैंक ने अप्रैल, 1991 में शर्तों के उल्लंघन के कारण ऋण का वितरण स्थगित कर दिया था ।

29- मेरी सरकार की यह नीति है कि प्रदेश के प्रत्येक अंचल में वहां की स्थानीय आवश्यकताओं तथा संसाधनों को देखते हुए ऐसी बहुमुखी तथा बहुआयामी योजनाओं का विस्तार हो जिनमें निरंतर रोजगार देते रहने की संभावनायें हों और जो स्थानीय अर्थ व्यवस्था को गतिशीलता भी प्रदान करें। इस हेतु सरकार ऐसे आर्थिक कार्यक्रम अपनायेगी जिनमें अधिकतम लोगों को उनके गांव में ही पर्याप्त अवधि के लिये रोजगार मिले । ऐसा करने से आर्थिक विकास तो होगा ही, ग्रामीण युवकों का शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा । मूर्त रूप प्रदान करने हेतु गत सितम्बर माह में 'दीन दयाल विकास योजना' प्रारम्भ की गई । शासन इस योजना में सेवायोजक की नहीं, वरन् प्रेरक की भूमिका निभायेगा । अब तक 7 परियोजनायें-सघन मिनी डेरी योजना, पशु विकास की स्वरोजगार योजना, बुन्देलखण्ड उद्यानीकरण योजना, मत्स्य आस्थान विकास योजना तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिये "न्यू माडल चर्खा" योजना स्वीकृत की गई है। अनुमान है कि इन योजनाओं से चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 76 हजार स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे, साथ ही काफी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनायें भी बढ़ेंगी ।

30-सामान्य प्रजातियों के गन्ने का परामर्शित मूल्य 45 रुपये प्रति क्विंटल तथा विशेष प्रजातियों का 48 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष की अपेक्षा 4 रुपये अधिक है, उससे लगभग 30 लाख कृषकों की खुशहाली बढ़ेगी उन्हें इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 150 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि गन्ना मूल्य के रूप में प्राप्त होगा । मेरी सरकार की घोषित नीति के अनुसार राज्य की सहकारी तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा वर्ष 1990-91 के लिये देय गन्ना मूल्य का शतप्रतिशत भुगतान 31 अक्टूबर, 1991 तक किया जा चुका है ।

गांवों के आर्थिक विकास के लिये पशुपालन के कार्य को समुचित महत्व दिया जा रहा है । पशुओं के लिये चिकित्सक, चिकित्सालय एवं रोग नियंत्रण सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। मेरी सरकार चालू वर्ष में 60 अतिरिक्त पशु चिकित्सालयों की स्थापना कर रही है । कुक्कुट विकास कार्यक्रमों को गतिशील बनाने के लिये निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा । सरकार गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिये अपनी प्रतिबद्धता के अन्तर्गत गोवंशीय पशुओं के बध का पूर्ण निषेध करेगी ।

31- महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन महिलाओं के परम्परागत कोशल में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो और वे स्वावलम्बी हो सकें। उनके उत्पादों के विपणन की व्यवस्था में उनकी सहायता की योजना प्रारम्भ की गयी है जिससे उनको अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके । एकल कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास बनाये जा रहे हैं । अनुसूचित जाति/तथा शहरों में गन्दी एवं मलिन बस्तिओं के छः वर्ष तक के कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती /धात्री महिलाओं को कुपोषण तथा अस्वस्थता से बचाने के लिये अनुपूरक पोषाहार, तथा उन्हें स्वस्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के 313 विकास खण्डों में समन्वित बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।

32-राष्ट्र निर्माताओं की श्रेणी में अग्रणी भारत रत्न डा0 बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर की जन्म शताब्दी के वर्ष में मेरी सरकार समाज में दलितों एवं शोषितों के उत्थान की दिशा में उनके अथक प्रयासों को श्रद्धा से स्मरण करती है और उनकी इस शुरुवात को परिणाम देने में अपने संकल्प को दुहराती है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विशेष गति लाने हेतु मेरी सरकार ने अनेक नये कदम उठाये हैं ।

इस वर्ष से छात्रवृत्ति योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया है। अब छात्रवृत्ति स्थानीय स्तर पर ही वितरित की जायेगी । स्वस्थ्य शैक्षिक वातावरण में पठन-पाठन के लिये अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावासों की सुबिधायें बढ़ायी जायेंगी। आश्रम पद्धति विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है ।अनुसचित जाति/जनजाति हेतु छात्रवृत्ति की दरों एवं आच्छादन में वृद्धि के आदेश दिये गये हैं ।

इस वर्ष 'डा0 अम्बेदकर जन्मशती निधि' की स्थापना की गयी है जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कक्षा 10 तथा 12 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायेगी । अनुसूचित जाति बहुल संज्ञानित अम्बेदकर गांवों का समग्र विकास आदर्श ग्रामों के रूप में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है ।

समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य जीवन धारा से जोड़ने के लिये शिक्षण एवं सेवा योजना स्तर पर इन्हें अनेक प्रोस्साहन एवं संरक्षण दिये जा रहे हैं । मेरी

सरकार का यह दृढ़ मत है कि कोई किसी भी कारण क्यों न पिछड़ा हो वह पिछड़ा है अतः उसे आगे बढ़ने का समान अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिये। विभिन्न वर्गों के लिये आरक्षित पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिये जा चुके हैं । पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश की औद्योगिक धारा से जोड़ने के लिये कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं ।

33- व्यक्ति का समग्र विकास करने तथा उसे राष्ट्रीय अस्मिता का बोध कराने और राष्ट्रीय जीवन, आदर्शों तथा आकंक्षाओं की संप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये, शिक्षा के महत्व की दृष्टि में मेरी सरकार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने, गुणवत्ता में सुधार लाने और बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिये कटिवद्ध है । नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल देने की आवश्यकता है ताकि हमारे बालक ओर बालिकायें अच्छे नागरिक बन सामाजिक ओर राष्ट्रीय वातावरण को स्वच्छ तथा राष्ट्रीय चरित्र को उत्तम बना सकें । राज्य में शत प्रतिशत साक्षरता लाने के कार्यक्रमों में तेजी लायी जायेगी । माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा व्यवस्था को समुन्नत बना कर उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिये प्रयोगशालाओं की व्यवस्था शीघ्र करने का प्रयास किया जायेगा ।

34- उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने, विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रदेश के बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से एकरूपता लाने और वित्तीय अनुशासन को प्रभावी बनाते हुए एकरूपता लाने और वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है जिसमें देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद नामित किये गये हैं । इस राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की टीम प्रथम बार गत दिसम्बर माह में आयी थी और उसने अष्टम पंचवर्षीय योजना के लिये लगभग 40 करोड़ रुपये अनुदान आयोग के रूप में आवंटित किये गये । अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का प्राविधान था जिसके कारण सदैव उनके विनियमितीकरण की मांग बनी रहती थी संबंधित अधिनियम में संशोधन करके उक्त व्यवस्था को समाप्त करा दिया गया है ताकि अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्तियां नियमित रूप से हों साथ ही तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिये प्राविधान भी कर दिये गये हैं। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत युवक-युवतियों में बन्धुत्व अनुशासन तथा राष्ट्रीय भावना जागृत करने के उद्देश्य से और उनकी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यक्रमों में करने के लिये 'रोवर रेंजर' योजना लागू की गई है।

35- छात्रों और युवाओं को सही दिशा देने, उनके स्वास्थ्य और स्वस्थ मानसिक विकास के लिये, तथा उसमें भाई चारे की भावना पैदा करने के लिये कई सुविधायें प्रदान की गई हैं। लखनऊ में स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इण्डिया के उत्तरी क्षेत्र के केन्द्र की स्थापना किये जाने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है । उदीयमान खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान आयोग के लिये एक 'स्पोर्ट्समैन बेलफेयर ट्रस्ट' की स्थापना की गयी है।

36- राज्य की जनता को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उचित ढंग से दिलाने के लिये मेरी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं । चिकित्साधिकारियों के बहुत से पद खाली चले आ रहे हैं, जिसके कारण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वांछित चिकित्सा सुबिधा उपलब्ध नहीं हो पाती हे। मेरी सरकार ने इन सभी रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया है । राजकीय चिकित्सालयों तथा औषधालयों में औषधियों की कमी को दूर करने के लिये नयी नीति अपनायी गई है, जिससे सीमित संसाधनों में भी अधिक उपयोगी औषधियां अधिक मात्रा में चिकित्सालयों में आने वाले जनसाधारण को उपलब्ध हो सकेंगी । जिला और अन्य प्रमुख राजकीय चिकित्सालयों में रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके सुधार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

37-नगरों में अच्छी नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये मेरी सरकार कटिवद्ध है । स्वच्छता, जल सम्पूर्ति, मार्ग प्रकाश व्यवस्था और जलोत्सारण की सुविधाओं में सुधार लाया जायेगा । स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये नई प्रणाली प्रारम्भ की जा रही है । आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में नगर क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग और सहकारिता के आधार पर आवासीय निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि की व्यवस्था में सहयोग दिया जायेगा । नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली कठिनाई से जनता को बचाने के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र और छूट के प्रस्ताव समयवद्ध रूप से निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

38- हरिद्वार में सुप्रसिद्ध अर्धकुम्भ मेला प्रारम्भ हो गया है जिसमें लगभग 80 लाख तीर्थ यात्रियों के आने की सम्भावना है । मेरी सरकार ने मेले के सफल आयोजन तथा तीर्थ यात्रियों के लिये विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है । इस संबंध में व्यापक तैयारियां की गई हैं ।

39- विकास के लिये अपेक्षित अवस्थापना सुविधा में मार्गों ओर पुलों का प्रमुख स्थान है। मेरी सरकार सीमित संसाधनों का निवेश इस मद में इस प्रकार करेगी कि अधिकतम लम्बित कार्यों को उपयोगिता के स्तर तक पूर्ण किया जा सके । यह दुखद है कि विगत वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता को नजरअंदाज करते हुए मार्गों एवं पुलों की स्वीकृति दे दी गई है जिसमें अनेक योजनायें या तो आरम्भ ही नहीं हो सकी या उपयोगिता के स्तर तक पूर्ण नहीं हो सकीं । इससे एक ओर फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिला दूसरी ओर स्वीकृत कार्यों के अनुपात में अनावश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुयी । आठवीं पंचवर्षीय योजना की संरचना में भी अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने तथा विद्यमान परिसम्पत्तियों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। नये कार्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों की परिधि में आने वाले ग्रामों तथा अनुसूचित जाति

एवं जनजाति बहुल ग्रामों को मुख्य मार्गों से पक्के मार्ग द्वारा सम्बद्ध करने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।

40-उत्तरांचल के तीव्र विकास के लिये अपनी प्रतिवद्धता के अनुरूप मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं । पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन ग्रिड योजना का विस्तार तथा शीतला खेत, पौड़ी को नये पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा । अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है । बागवानी एंव कृषि विकास के विशेष कार्यक्रम अपनाये गये हैं । एक जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की जा रही है । पुरानी पेय जल योजनाओं को पुनर्गठित करने तथा क्षतिग्रस्त योजनाओं के जीर्णोद्धार का व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है । एकल ग्राम पेय जल योजना के अन्तर्गत योजना को उसी ग्रामसभा द्वारा चलाने और रख-रखाव का कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है । इसके साथ उत्तरांचल के सभी जनपदों में प्रशासनिक व्यवस्था उत्तरांचल के सभी जनपदों में प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न विभागों में अंशकालिक तथा तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्थाओं को समाप्त करके नियमित एवं पूर्ण-कालिक नियुक्तियां की जा रही हैं ।

41-उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनायें हैं । धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अयोध्या में रामकथा पार्क परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । सारनाथ के समन्वित पर्यटन विकास के लिये एक परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है जिसका कार्यान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जायेगा । आगरा में ताजमहल के पीछें तथा दोनों ओर ताज नेशनल पार्क परियोजना भारत सरकार तथा यू0एस0 नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से बनायी जा रही है ।

42-मेरी सरकार राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक विकास तथा उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिये वचनवद्ध है। इस वचनबद्धता के अनुरूप एक अप्रैल, 1990 या उसके पश्चात् स्थापित औद्योगिक इकाइयों की छूट की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है । इकाइयों के विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण पर भी बिक्रीकर से छूट दे दी गयी है। बैंक अथवा निगम से वित्त-पोषित इकाइयों को भी नई इकाइयों के रूप में छूट की सुविधा दी गयी है । रुग्ण इकाइयों को सुविधा देने के लिये देयों की वसूली स्थगित करने का प्राविधान किया गया है । समाज के विभिन्न वर्गों तथा छोटे व्यापारियों को सुविधा देने के लिये दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं को बिक्रीकर से मुक्त कर दिया गया है । स्वच्छ छवि वाले करदाताओं को सम्मानित करने के लिये राजकीय एवार्ड देने का भी निर्णय लिया गया है । विक्रीकर की दरों के सुवयवस्थीकरण तथा प्रक्रिया सरलीकरण के संबंध में सुझाव प्राप्त करने हेतु एक सरलीकरण समिति गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी गयी है । समिति की संस्तुतियों पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा । और इस सम्बन्ध में अग्रतर प्रयास जारी रहेंगे ।

43- ग्रामीण जनता की सुविधा के लिये राजस्व प्रशासन को गतिशील बनाया जा रहा है । उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों का निस्तारण एक माह में सुनिश्चित किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं । निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों के निस्तारण में राजस्व विभाग द्वारा अगस्त, 91 से एक विशेष अभियान आयोजित किया गया जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 91 तक 9 लाख 23 हजार 658 मामले निस्तारित किये गये जो एक उल्लेखनीय कीर्तिमान है । अभिलेखों की स्थिति में सुधार तथा आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय भूमि प्रबन्ध संस्थान' की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। चक मार्गों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं ।

44-प्रशासन तंत्र को स्वच्छ, गतिशील और उत्तरदायी बनाने के लिये मेरी सरकार कृत संकल्प है । पूर्व सरकारों ने प्रशासन तंत्र को सार्वजनिक हित के बजाय वर्ग विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के हित के लिये दुरुपयोग किया है । अतः मेरी सरकार के सामने यह चुनौती थी कि जनता में प्रशासन तंत्र के प्रति नया विश्वास जगाये । प्रशासन के प्रत्येक स्तर, मुख्य रूप से तहसील, थाना एवं विकास खंड स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को निष्पक्षता एवं न्यायप्रियता के साथ अपना दायित्व निभाना होगा, ताकि हर वर्ग हर जाति के नागरिक को यह महसूस हो सके कि वर्तमान प्रशासन में सभी की जान-माल एवं इज्जत की सुरक्षा हो रही है और प्रशासन तंत्र उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बनाये रखने के लिये मेरी सरकार उन्हें समुचित संरक्षण एवं प्रोत्साहन देगी । जहां एक ओर लोक सेवकों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप पूर्ण संवेदना के साथ उत्कृष्ट जन सेवा हेतु प्रेरित किया जायेगा वहीं दूसरी ओर निकृष्ट एवं भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध समय से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये जा चुके हैं ।

45- राष्ट्र की प्रगति और सामाजिक स्थिरता के लिये न्याय-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा राज्य की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। मेरी सरकार न्यायालयों में पूर्ण रूप से हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करेगी । न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये पं0 दीन दयाल उपाध्याय हिन्दी निर्णय पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गई है । कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड को और अधिक उपयोगी एवं गतिशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

46- माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा, इसकी दिशा एवं प्रमुख नीतियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसी सत्र में आपके समक्ष बजट प्रस्तुतीकरण के अवसर पर वर्तमान कार्यक्रमों की उपलब्धियों एवं नये कार्यक्रमों का विस्तार से जानकारी का एक ओर अवसर उपलब्ध होगा। मैंने आपके समक्ष उन विषयों पर भी प्रकाश डाला है जो केन्द्र की नीति में निर्णयों से संबंधित है । मुझे विश्वास है कि आप सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास एवं कल्याण हेतु एकजुट होकर अपनी बात कह सकेंगे ।

47-विगत सत्र के बाद मैने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनको प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक और कुछ अन्य विधेयक भी, आपके समक्ष इस सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । इस सत्र में वित्तीय वर्ष 1992-93 का आय-व्ययक और वर्ष के एक भाग के लिये लेखानुदान आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिये अनुपूरक मांगें भी प्रस्तुत की जायेंगी ।

48-भारत की आत्मा उसकी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परम्पराओं में निहित है । हमारे पूर्वजों का जीवन और चिंतन सबके सुख,शान्ति और खुशहाली के लिये निरंतर प्रेरणा देता रहा है । हमें उनकी इस प्रेरणा को कार्यरूप देना है। यह उसी दिशा में सम्भव है, जब हम राष्ट्र के प्रति गौरव एवं सम्मान तथा सब के प्रति प्रेम की भावना रखें । हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं परन्तु राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखें । और सेवा-भाव से विकास के कार्यों में जुट जायें । मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि किसी भी परिस्थिति में आप समाज में किसी प्रकार की विकृति न आने देंगे और राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति , सुख ओर समृद्धि एवं शान्ति और कल्याण के लिये ऐसे समाज के निर्माण में सहायक होंगे जिसमें सब सुखी रहें, सब नीरोग रहें, सब का कल्याण हो ओर कोई दुख का भागी न हो ।

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् ।।

49-इसके पूर्व कि मैं अपना अभिभाषण समाप्त करूं मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि लोकतंत्र का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि यहां आप क्या करते हैं और सदन के बाहर आपका व्यवहार कैसा है। आप अपने कार्य और आचरण से दूसरों के लिये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे । अतः मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा एवं पवित्रता को बनाये रखेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श सदैव गम्भीरता निःस्वार्थ सेवा एवं सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा होगी । ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको शक्ति दे जिससे आप जनता की सेवा में अग्रणी रहें । इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूँ ।

जय हिन्द ।

नोट-()यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 +

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1991 +

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) (चतुर्थ) अध्यादेश,1991 +

सिंचाई न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) (चतुर्थ) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

मुख्य मंत्री द्वारा अपने साथ ब्रीफकेस साथ ले जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-
मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी कल ही आपका एक परिपत्र सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ है जिसमें यह लिखा है कि कोई भी सदस्य अपने साथ ब्रीफकेस लेकर न आये । लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अपने साथ ब्रीफकेस लेकर आये हैं। बस मुझे इतना [illegible]ना है ।
श्री अध्यक्ष-
यह बात मैंने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कही थी न कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1991 +

उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) (तृतीय) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 +

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-
मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन)अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

+ छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संसोधन) अध्यादेश, 1991 +

राजस्व राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संसोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1991 +

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अध्यादेश, 1991 +

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 +

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संसोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1991 +

उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संसोधन) अध्यादेश 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 +

उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 +

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)
मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्योदश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 *

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बलियान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संसोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 *

उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अनुच्छेद-213 में श्री राज्यपाल के विधायी अधिकारों का उल्लेख है । इसमें यह लिखा हुआ है कि उस समय को छोड़कर जब विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनसे निपटा जाना आवश्यक है .....

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठ जाइये ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1992 *

आबकारी, परिवहन, एवं पुर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1992 *

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति *

मद संख्या- 19 पुकारे जाने पर

श्री प्रमोद कुमार तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप कानून के रक्षक हैं, तथा इस पूरे प्रदेश के भी रक्षक हैं । आप जो व्यवस्था देंगे वह हमें शिरोधार्य होगी ।

---

* छापा नहीं गया ।

श्रीमन् परीक्षा प्रणाली के नाम पर जो यह अध्यादेश इस सदन में लाया जा रहा है, इससे केवल छात्र ही नहीं बल्कि अभिभावक और साथ ही पूरे प्रदेश का समाज भी प्रभावित होगा । इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस अध्यादेश को सदन के पटल पर न रखने दें ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निराकरण) अध्यादेश, 1992 ।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अमरनाथ यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1992 ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति (क्रमागत)

(मद संख्या-21 पुकारे जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, नकल वाले अध्यादेश को वापस करायें, इस तरह की आपत्तियां पहले भी उठायी जाती रही हैं और अध्यक्ष पीठ से इस पर व्यवस्थायें भी दी जाती रही हैं । श्रीमन् यह सरकार छात्रों, किसानों और पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही है ।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप स्थान ग्रहण करें ।

(इस पर विरोध पक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और किसान विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तथा काला अध्यादेश वापस लो, वापस लो आदि नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1987-88 एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की के मत वर्ष 1987-88 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एव नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्प्रेक्षित रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1987-88 एवं महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के वर्ष 1987-88 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

1 छापा नहीं गया ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1989 का प्रतिवेदन ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या-6 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1990 का प्रतिवेदन ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) (1991) की संख्या-1) उत्तर प्रदेश सरकार को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड लखनऊ का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84 ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री पृथ्वी सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नलकूप निगम, लिमिटेड लखनऊ का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 1983-84 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू0पी0 स्टेट एग्रो, इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 लखनऊ का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा-विवरण वर्ष 1983-84 ।

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा-विवरण वर्ष 1983-84 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम के वर्ष 1985-86 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश का परीक्षा प्रतिवेदन ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1985-86 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन +

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का वर्ष 1988-89 के कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के गठन संबंधी शासनादेश संख्या ए-3001/25-सी0एक्स-(ए)-64, दिनांक, 8 जुलाई, 1964 के प्रस्तर-4(च) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

31 जुलाई, 1991 को सदन में दिये गये श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रेषित स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल के उत्तर का पाठ

घोर व्यवधान के मध्य)

(दिनांक 31 जुलाई, 1991 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण की प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल महोदय के निम्नलिखित उत्तर को श्री अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम, 19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाया)

श्री अध्यक्ष-

"प्रिय अध्यक्ष महोदय आपके पत्र संख्या 1704/वि.स./संसदीय/109/सं/91, दिनांक 20 अगस्त, 1991 के लिये धन्यवाद ।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी अपना धन्यवाद देना चाहूंगा । भवदीय- बी0सत्य नारायण रेड्डी "

उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम, 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि- उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एंव नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 अगस्त, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि निधि (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 1991 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 16 अगस्त, 1991 को वापस प्राप्त हो गया ।

+ छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 197 के साथ पंठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(1) के अन्तर्गत घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, संशोधन विधेयक, 1991 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1991 को पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 6 अगस्त, 1991 को ही पारेषित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 7 अगस्त,1991 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त न हुआ है ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1991-92 का अनुपूरक), विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1991-92 का अनुपूरक), विधेयक, 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 अगस्त, 1991 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था)(द्वितीय संशोधन),विधेयक,1991

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 की उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया ।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1991

(व्यवधान के मध्य)

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर संशोधन विधेयक, 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 अगस्त, 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 9 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया ।

उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण) विधेयक 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधीकरण)विधेयक 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का 27 वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 अगस्त, 1991 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश देशी शराब का लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश देशी शराब लाइसेंस का व्यवस्थापन (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1991 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 1991 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 14 अगस्त, 1991 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अगस्त, 1991 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1991 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया ।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव
(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 फरवरी, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 10 फरवरी, 1992 से 23 फरवरी, 1992 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किये जाने की सिफारिश की है :-

फरवरी, 1992	
10 सोमवार	12.30 बजे अपराह्न श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना (2) औपचारिक कार्य तथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुर:स्थापन आदि ।
11 मंगलवार	निधन के निर्देश (प्रश्नकाल नहीं होगा) ।
12 बुधवार 13 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (प्रथम एवं द्वितीय दिन)
14 शुक्रवार	असरकारी दिवस (असरकारी) दिवस (असरकारी संकल्प)।
15 शनिवार 16 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
17 सोमवार	विधायी कार्य ।
18 मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तृतीय दिन) ।
19 बुधवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चतुर्थ एवं अंतिम दिन) ।
20 गुरुवार	विधायी कार्य ।
21 शुक्रवार	1. असरकारी दिवस (आधा दिन) 2. विधायी कार्य (आधा दिन) ।
22 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
23 रविवार	बैठक नहीं होगी ।

नोट- दिनांक 11 फरवरी, 1992 को नियम 51, 56, 301 आदि के अंतर्गत सूचनायें न ली जायें और संगत नियमों को निलम्बित करते हुए उस दिन प्रश्न काल न हो और उस दिन की कार्यसूची में प्रश्न न छापे जायें ।

(2) दिनांक 12, 13, 18 तथा 19 फरवरी, 1992 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें।

(व्यवधान के मध्य)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज अभी श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।"

(वेल में खड़े विरोध पक्ष के कई सदस्यों ने नारे लगाये कि छात्र विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-
प्रश्न यह है कि मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान सदन के वेल में खड़े विरोध पक्ष के कई सदस्यों ने नारे लगाये राम नाम सत्य है, सरकार नाम सत्य है)

श्री अध्यक्ष-
अब हम उठते हैं और 11 बजे (पूर्वाह्न) कल फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन अपरान्ह एक बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
10 फरवरी, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0एस0यू0पी0-एल0 316 विधान सभा (566)-1992-813 (आफसेट) ।